RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-06
June-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI:https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i06.027

पूर्णियाँ शहर में अवस्थित शरणार्थी कॉलोनी एवं कॉलोनी में निवास करने वाले शरणार्थियों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

डा0 रामानन्द प्रकाश राम

+2 शिक्षक (राजनीति विभाग), मातुराम कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनमनखी, पूर्णियाँ (बिहार)
पूर्व शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग), भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालूनगर, मधेपूरा (बिहार)

शरणार्थी यानि शरण में उपस्थित असहाय, लाचार, निराश्रय तथा रक्षा चाहने वाले व्यक्ति या उनके समूह को कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाशा में तमनिहमम लिखा व संबोधित किया जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति विशेष या उनका समूह जो किसी भी कारणवष अपना घरबार या दोष छोड़कर अन्यत्र के शरणांगत हो जाता है, वह शरणार्थी कहलाता है। भारत में शरणार्थियों के आने का इतिहास बहुत पुराना है और भारत में बसे कानूनी और गैर कानूनी शरणार्थियों की जनसंख्या कई विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। आमतौर पर अनभिज्ञतावश लोग कई बार के लिये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, सिंध आदि प्रदेशों लाखों लोग जो अपना घरबार छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गए थे उन्हें शरणार्थी मान लेते हैं, परंतु यह घटना पूर्ण रूप से शरणार्थी शब्द को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में बस गए उन्हें वहां (भारत में) एक नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार विभाजन के समय दिया गया था। भारत में विभाजन के बाद आये लोगों को छोड़ दे तो भी आजादी के बाद काफी षरणार्थी भारत आये।

इस आलेख का मुख्य बिंदू पूर्णिया शहर में अवस्थित शरणार्थी कॉलोनी एवं कॉलोनी में रहने वाले शरणार्थियों का अध्ययन है। पूर्णिया में शरणार्थियों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अलग–अलग जगह पर कॉलोनी बनाकर इन्हें बसाया गया और उन्हें लगभग सभी सुविधाएं दी गई।

1. मधुबनी कॉलोनीः–

1947 में बंगलादेष से आनेवाले शरणार्थियों के लिए मुंगेर, भागलपुर और बेतिया में कैम्प लगाया गया। 1964 मे त्रिपुरा के बेलोनिया, अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर तथा उड़ीसा के दंडकारण्य, रायपुर के माना कैम्प में (तत्कालीन मध्यप्रदेष और अभी के छत्तीसगढ़) बिहार के बेतिया एवं पूर्णियाँ के मरंगा तथा सहरसा के बरियाही में Transit camp लगाकर विस्थापितों को स्थानीय स्तर पर पुनर्वासित किया गया। 1971 में फारबिसगंज में पुनर्वासित किया गया। पूर्णिया के मरंगा शिविर में विस्थापितों को रिफ्यूजी कॉलोनी मधुबनी में स्थानांतरित किया गया। इन्हें बसने के लिए करीब 10 डीसीमिल जमीन दी गई तथा खेती योग्य भूमि 30 डीसीमिल दिया गया। इसके अतिरिक्त करीब 4000 रूपये(चार हजार रूपये) आजीविका हेतु ऋण के रूप में दी गई।

उल्लेखनीय है कि यहाँ करीब 120–130 परिवार पुनर्वासित किया गया। 1970 तक करीब 50 परिवार बाहर चले गए। 1972 में 25 परिवार और 1976 में 10 परिवार बाहर चले गए। ये लोग रोजगार की तलाश में बाहर गए। फारबिसगंज के Transit camp से 60 परिवार को यहाँ पुनर्वासित किया गया। मधुबनी कॉलोनी स्थित शरणार्थियों को 1970 तक सेवा सरकार द्वारा दी गई। तत्पश्चात सेहसावादी बंगाली मुसलमान साइकिल पर चावल लेकर बाजार में बेचने का काम किया करते हैं। इसक अतिरिक्त कुछ बंगाली समुदाय के लोग जो खुष्कीबाग में बसे हुए हैं, वे शिल्प का कार्य किया करते हैं। मूलतः मूर्ति बनाना एवं अन्य व्यवसाय तथा खेती का कार्य भी किया करते हैं। कुछ लोग नौकरी पेशें में भी हैं क्योंकि वैसे लोग जो मैट्रिक और अन्तरस्नातक और स्नातक पास करके आए थे उन्हें नौकरी भी दी गई। सुविधा के दृष्टि से मधुबनी शरणार्थी कॉलोनी में नवम्बर 2000 से बिजली की सुविधा प्रदान की गई है तथा 1972 में मध्य विद्यालय स्थापित किया गया। यहाँ वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए षिक्षा की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से जल आपूर्त्ति की कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। यहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है।

यहाँ स्वास्थ्य का बिल्कूल अभाव है। यहाँ पक्की सड़क का भी अभाव था लेकिन 2011 में सड़क प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा बनाई गई जो श्रीनगर से मिलती है। इस कालोनी में माध्यमिक उत्तीर्ण की संख्या की 100 है और स्नातक पास लगभग 45–50

RRIJM 2015, All Rights Reserved

है तथा स्नातकोत्तर पास 35–40 है और 80 से 85 अन्तरस्नातक भी हैं।

2. लालगंज कॉलोनीः–

मधुबनी कॉलोनी के समान ही लालगंज षरणार्थी कॉलोनी है जो 02 वार्डों में विभाजित है वार्ड न0–02 में 45 से 50 परिवार हैं और वार्ड न0–04 में 95 से 100 परिवार हैं। ये लोग यहाँ 1951–52 से ही रह रहे हैं। पूर्व में इनलोगों को रजिस्ट्री ऑफिस (निबंधन कार्यालय) से ठीक पीछे बसाया गया था और बाद में 15 परिवारों को 15 एकड़ 87 डीसमिल जमोन देकर लालगंज में बसाया गया। यहाँ बसने वालो शरणार्थी में फरिदपुर जिला, मैमन सिंह जिला, नौसंधि जिला, नोआखाली जिला, राजशाही और दीनाजपुर से आए हुए हैं। यद्यपि सरकार इन्हें जमीन देकर बसायी लेकिन एक से दो ऐसे भी परिवार हैं जो स्वयं जमीन खरीदकर बसे हैं। जिन लोगों को सरकार द्वारा जमीन दी गई उनका जमीन भी सर्वे में किसी हरिजन के नाम से कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप, इन लोगों को न्याय के लिए परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नीचली अदालत में शरणार्थी केस जीत चुके हैं फिर भी केस पुनः अपील में चला गया है। जमीन खरीदकर बसने वाले में एक 'सत्यरंजन दास जी' का नाम षामिल है। 1964 के मरंगा शिविर से भी यहाँ लाकर बसाये गए हैं। कुछ लोग जो स्वयं जमीन खरीदकर बसे हैं उस कॉलोनी को आउट कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ के शरणार्थियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मिट्टी बलुआही होने के कारण उपज अच्छी नहीं है। आजीविका का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अतः ये लोग छोट–मोटे व्यवसाय करके अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही, जो सरकार द्वारा इन्हें जमीन दी गई उन जमीनों में रास्ते नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप प्रशासन का सहयोग तो मिला लेकिन समाज का व्यवहार इनके मानसिक परेशानी का कारण बना। इससे कई शरणार्थी परिवार अपनी जमीन बेचने पर विवश हो गए और अन्य किसी स्थान पर जाकर बस गए हैं। ये लोग दैनिक मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ का शिक्षा स्तर लगभग नगण्य है। पूर्व में एक अल्पसंख्यक समुदाय का विद्यालय था जिसे अब सामान्य श्रेणी का विद्यालय बना दिया गया है। यहाँ एक भी स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र नहीं है, चूँकि यह क्षेत्र पूर्णिया शहर से अलग है अतएव यह ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इनके बच्चों की शादी–विवाह भी आपस में ही करवा दिया जाता है। यहाँ के निवासियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

3. माधोपारा कॉलोनीः–

लालगंज कॉलोनी के अतिरिक्त माधोपारा कॉलोनी पूर्णिया के बायपास बैलोरी पंचायत में अवस्थित है। यहाँ करीब 17 से 18 शरणार्थी परिवार रहते हैं जिनमें 08–10 परिवार बाहर चले गए हैं। इनमें 10 से 12 माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं। 8 से 10 अंतरस्नातक की शिक्षा और 3 छात्र स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आँगनबाड़ी, भाषा कार्यकर्त्ता एवं शिक्षा मित्र में एक–एक व्यक्ति कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त नौकरी पेशा का सख्त अभाव है। फलतः दैनिक मजदूरी एवं बटाई–दार द्वारा खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है। यह गाँव पूर्णिया पूर्व प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोग मछुआ जाति के हैं जो केवट जाति के श्रेणी में रखा गया है। बंगाल में जालिया केवट जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आता है और बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। मोतिहारी में बिहार–बंगाल समिति द्वारा केस किया गया निर्णय अभी आना बाकी है। यहाँ बसने वाले लोगों में अधिकशंतः चोइरा, चन्दया, ग्राम+पो0+थानाः– कालीगंज, ढाका से आए हुए हैं। यहाँ की मुखिया महिला है जो पष्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की श्रेणी में थी और बिहार में इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4. मोहिनी कॉलोनीः–

यह कॉलोनी 2 पंचायतों में विभाजित है जिसे क्रमषः मोहिनी पंचायत–01 और मोहिनी पंचायत–02 के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णियाँ षहर से 10 किलोमीटर उत्तर दिषा में अवस्थित है। 1955–56 के आसपास यहाँ नागरिकों को बसाया गया था। प्रारंभ में लगभग यहाँ 50 परिवार ही बसे थे। इसके पूर्व यहाँ पर दूसरा परिवार था जिसके यहाँ से चले जाने के बाद इनलोगों को बसाया गया। अभी वर्त्तमान समय में करीब 150 परिवार यहाँ बसे हुए हैं। इनलोगों को भारत सरकार द्वारा पूनर्वासित किया गया। प्रत्येक परिवार को करीब 12 बीघा जमीन दिया गया था। यहाँ पर बसने वाले अधिकांष परिवार ढाका से आये थे। ढाका से आने का कारण वहाँ हिन्दू–मुस्लिमों का दंगा था। जब ढाका में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगे हुए तब से ये लोग ढाका से भागकर भारत आ गए। इस पंचायत में सभी लोग हिन्दू परिवार से जुड़े हुए थे। ज्ञातव्य हो कि यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें तीन ही शिक्षक कार्यरत हैं। कोई स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है तथा बिजली की सुविधा अब इन लोगों को प्राप्त हुई है। यहाँ शिक्षा तो बिल्कूल ही नगण्य है। कोई नागरिक माध्यमिक पास भी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

नहीं है। इस पंचायत के अतिरिक्त बेगमबाड़ी, फूलबरिया, लालूघाट एवं लालबाड़ी में भी कुछ–कुछ षरणार्थी बसे हुए हैं।

5. बेलारिकाबगंज कॉलोनी :–

यह कॉलोनी पूर्णिया शहर से उत्तर में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ 1950–56 के बीच शरणार्थी बसाए गए। प्रारंभ में 3–4–5 एकड़ जमीन देकर बसाया गया था। बंगला की पढ़ाई नहीं होने के कारण इनके बीच बंगला की जानकारी कम होती जा रही है। प्रारंभ में यहाँ 36 परिवार पूनर्वासित किए गए थे। इसके बाद इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती गई क्योंकि कुछ लोग मिशन द्वारा बसाए गए है। कुछ लोग पलायन करके कुछ समय बाद दिल्ली और पंजाब चले गए। यहाँ बसने वाले लोगों में अधिकाशंतः केवट और जालिया केवर्त्त (नाव खेनेवाले) जाति अधिक हैं। पढ़ाई के प्रति इस कॉलोनी में रूझान कम है। फलतः साक्षरता दर बहुत ही दयनीय है। यहाँ के लोग मजदूरी, खेती और व्यवसाय पर निर्भर हैं और इन्हीं से इनकी आजीविका चलती है। इस कॉलोनी को दो पंचायतों में विभाजित किया गया है। एक पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं है लेकिन दूसरे पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। यहाँ कोई स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उपकेंद्र नहीं है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी दयनीय स्थिति में है। आय के श्रोत इतनी अच्छी भी नहीं है कि यहाँ के नागरिक बाहर जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार बेलारिकाबगंज कॉलोनी के शरणार्थियों को अच्छी जीवन शैली बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा ह।

6. वर्मा कॉलोनीः–

वर्मा कॉलोनी, जो पूर्णिया शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णिया–सहरसा के मुख्य सड़क के बगल में अवस्थित है। यहाँ अब बिजली की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ विस्थापितों को जो भूमि आवंटित की गई उसे बाद में फर्जी तरीके से बेचा और खरीदा जाने लगा। फलतः भूमि विवाद का सामना इन विस्थापितों को करना पड़ा। यह परिस्थिति विस्थापितों के जीवन को लगभग अव्यवस्थित करता दिख रहा है। छात्रों के छात्रवृत्ति के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शैक्षणिक मदद के निमित जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। यह मदद केवल शिविर काल में ही दिया गया, इसके पश्चात् इसे समाप्त कर दिया गया। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्नातक की संख्या करीब 20% है तथा प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सरकारी सेवाओं में जाने वालों की संख्या करीब 0.01% ही ह। आधुनिक काल में षिक्षा मित्र में जाने वालों की संख्या कुछ अधिक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी सहायता नहीं के बराबर है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ सख्त अभाव है। केवल चरनई में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है

इन कॉलोनियों के अतिरिक्त कुछ और भी छोटे–छोटे शरणार्थी कॉलोनी हैं जहाँ बहुत कम संख्या में शरणार्थी रहते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति :– बी.एल.फाड़िया
2. टी.वी. न्यूज चैनल
3. श्रम विभाजन कार्यालय, पूर्णिया
4. स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी

RRIJM 2015, All Rights Reserved